

By e-mail
पञ्जावशक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ड.)() (विधि) स्वा.शा./23/786

दिनांक: 13.07.2023

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 (1)(क)(ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगरीय निकाय की अवधि जो भी पहले हो तक के लिए नगर पालिका कानोड जिला उदयपुर में एतद्वारा सहवृत्त सदस्य मनोनीत करती है:-

व.सं	प्रस्तावित नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल नं.
01	श्री अयुब खान	हमताब खां	कानोड जिला उदयपुर	9950543070
02	श्रीमती उमा कोठारी	श्री अनील कोठारी	कानोड जिला उदयपुर	9414719878

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 13.07.2023

क्रमांक: प.8(ड.)() (विधि) स्वा.शा./23/787-800

प्रतिलिपि सूचनार्थ सं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, /मां. मंत्री महोदय स्वा.शा. विभाग राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. संभागीय आयुक्त उदयपुर / जिला कलेक्टर, उदयपुर,।
05. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
06. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग उदयपुर राजस्थान।
07. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक भाग 6 (क) राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
08. उपखण्ड अधिकारी कानोड को प्रेषित कर लेख है कि मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ पत्र दिलवाने की कार्यवाही करें।
09. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कानोड को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. निदेशक जनसम्पर्क निदेशालय /पी.आर.ओ. निदेशालय।
11. प्रोग्रामर, (आर्ट टी सैल) निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावलौ।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी